कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2012/II/198 दिनांकः20 सितम्बर, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रवेश नीति 2012–13 के तृतीय भाग– विधि संकाय में प्रवेश के नियम (पृष्ठ–11) पर बिन्दु 3.4 के नीचे अंकित नोट को प्रतिस्थापित/संशोधन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रवेश नीति 2012–13 के तृतीय भाग– विधि संकाय में प्रवेश के नियम (पृष्ठ–11) पर बिन्दु 3.4 के नीचे अंकित नोट "बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार दूरस्थ (पत्राचार, एक्सटरनल) माध्यम से बी.ए. अथवा एम.ए. की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को एल.एल.बी. (पांच या तीन वर्ष) के पाठ्यक्रम में प्रवेश देय नहीं होगा" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित/संशोधित किया जाता है :–

"बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिनके द्वारा +2 हायर सैकण्डरी पास सर्टिफिकेट या फर्स्ट डिग्री सर्टिफिकेट, दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से अर्जित की गयी हो, वे भी समेकित पांच वर्षीय अथवा तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे। लेकिन ऐसे आवेदक जो 10+2 या स्नातक/स्नातकोत्तर की डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के माध्यम से सीधे ही बिना किसी बुनियादी योग्यता के प्राप्त करते हों, वे विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के *पात्र नहीं होंगे*"

भवदीय,

ह./ निभाजी

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2012/II/198 दिनांकः20 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपिः डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

ह./ निभाजी

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर